फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **श्री योगेश** | विपक्षी :— **श्री अम्बावा**

किस्म मुकदमा :— 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :— 141/24

जीसीएमएस नम्बर :— 2024/538

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस टी. आई. पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा नऊवा पटवार हल्का नऊवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 334 पर दर्ज आराजी नम्बर 1024, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1042, 1043, 1044, 1045, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1073, 1074, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 439, 440, 441 किता 34 कुल रकबा 9.6561 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 12 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण मौके पर वादग्रस्त भूमि का खनन कर भूमि के स्वरूप में परिवर्तन करने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहे हैं। विपक्षीगण बिना बंटवाड़ा करवाए बाहुबल से वादग्रस्त भूमि में से किसी विशेष आराजी पर खनन कार्य कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षीगण को यदि खनन कार्य करने से नहीं रोका जाता है तो इससे विपक्षीगण का किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नही होगा। न्यायालय का मानना है कि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का बिना बंटवाडा करवाये किसी विशेष भू भाग पर खनन कार्य करते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] क साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 11.12.2024 से [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] किया जाना न्यायहित में उचित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा नऊवा पटवार हल्का नऊवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 334 पर दर्ज आराजी नम्बर 1024, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1042, 1043, 1044, 1045, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1073, 1074, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 439, 440, 441 किता 34 कुल रकबा 9.6561 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण खनन नहीं करे, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:40 IST
Reason: SelfAttested